

जयपुर विकास प्राधिकरण

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 237 वीं बैठक दिनांक 23.08.2016 को अपरान्ह 12.00 बजे आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। जिसका कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है:-

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया।

1. श्री पवन अरोडा, सचिव, जविप्रा, जयपुर
2. श्रीमति लवंग शर्मा, निदेशक (आयोजना) जविप्रा, जयपुर
3. श्री ओ.पी.बुनकर, अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन), जविप्रा, जयपुर
4. श्री खजान सिंह, अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी) जविप्रा, जयपुर
5. श्री नीरज तिवाड़ी, सचिव, भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थे :

1. श्री बी.डी जाट, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान)
2. श्री आशा अवस्थी, वरिष्ठ नगर नियोजक, (मास्टर प्लान)
3. श्री धारा सिंह मीणा उपायुक्त जोन - 4
4. श्री असलम शेर खान उपायुक्त जोन - 6
5. श्री राजकुमार सिंह उपायुक्त जोन - 8, 12
6. श्री मधु सुदन उपायुक्त जोन - 9
7. श्री रामलाल गुर्जर उपायुक्त जोन - 11,14
8. श्री एम.डी मीणा उपायुक्त जोन - 13
9. श्री चैन सिंह राठौड़ उपायुक्त जोन - 19
10. श्रीकरण सिंह गोथवाल उपायुक्त पृथ्वीराज नगर नोर्थ
11. श्रीमती उषा जैन सलाहकार जनसम्पर्क
12. सहायक नगर नियोजक जोन - 7, 8, 9, 11, 12, 12 बी, 13,19, रिकार्ड व मास्टर प्लान

एजेण्डा संख्या:-1

237/23.08.2016

विषय:-बीपीसी (एलपी) की बैठक संख्या 236 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि हेतु।

बीपीसी (एल पी) की बैठक संख्या 236 के अतिरिक्त एजेण्डा संख्या :1 जोनल विकास योजना-3 के मानचित्र में अजमेर रोड की चौड़ाई न्यू सांगानेर रोड से अमानीशाह नाले तक सड़क की चौड़ाई 160 फीट (48 मी) व अमानीशाह नाले से किंग्स रोड तक सड़क की चौड़ाई 200 फीट (60 मी) दर्शाये जाने के निर्णय को with draw किया जाता है । पूर्व में जोन स्तर से अजमेर रोड पर काफी पट्टे जारी किये गये है, जिनको दृष्टिगत रखते हुये सर्वप्रथम सम्बन्धित जोनों से सूचना प्राप्त कर पूर्ण परीक्षण किया जावे । शेष कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।

एजेण्डा संख्या:-2 (जोन-4)

237/23.08.2016

विषय:- न्यू पिकसिटी गृ.नि.स.समिति की योजना सिद्धार्थ नगर-ए के भूखण्ड संख्या ए-631, ए-635, ए-654, ए-655, ए-657, ए-657, ए-657, ए-658, ए-659, ए-660 व ए-661 का पुर्नगठन करने बाबत।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित पुर्नगठन स्वीकृत किया जावे एवं पुर्नगठित भूखण्डों का क्षेत्रफल 1500 वर्गमज से अधिक होने के कारण राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जावे।

(23)

एजेण्डा संख्या:-3 (जोन-6)

237/23.08.2016

विषय:- जविप्रा द्वारा अनुमोदित योजना बृज कालोनी में स्थित सुविधा क्षेत्र का एण्ड यूज निर्धारण बाबत।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि जोन के प्रस्तावानुसार सुविधा क्षेत्र का एण्ड यूज पानी की टंकी/पम्पिंग स्टेशन निर्धारित किया जावे।

एजेण्डा संख्या:-4 (जोन-9)

237/23.08.2016

विषय:- जोन-9 के क्षेत्राधिकार में निजी खातेदारी की आवासीय योजना " आशादीप किंग्स कोर्ट " में पार्क हेतु आरक्षित 4066.11 वर्ग मीटर के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल 406.60 वर्ग मीटर का क्लब हाउस हेतु एण्ड यूज निर्धारण बाबत।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि टाउनशिप पालिसी 2010 के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये क्लब हाउस का प्रस्ताव अस्वीकृत किया जावे।

एजेण्डा संख्या:-5 (जोन-9)

237/23.08.2016

विषय:- भूखण्ड संख्या ए-41 एवं ए-42 योजना शिव ऑफिसर्स कॉलोनी विस्तार पार्ट-I (निजी खातेदारी) के पुर्नगठन के अनुमोदन बाबत।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित पुर्नगठन स्वीकृत किया जावे व नियमानुसार पुर्नगठन राशि ली जावे तथा भवन विनियमानुसार पैरामीटर्स रखे जावे।

एजेण्डा संख्या:-6 (जोन-9)

237/23.08.2016

विषय:- योजना सैन्ट्रल स्पाईन के भूखण्ड संख्या सी-238 क्षेत्रफल 324 व.मी. भूखण्ड संख्या सी-239 क्षेत्रफल 351 व.मी. भूखण्ड संख्या सी-250 क्षेत्रफल 405 व.मी. एवं भूखण्ड संख्या सी-251 क्षेत्रफल 324 व.मी. कुल क्षेत्रफल 1404.00 वर्ग मीटर (1678.62 वर्ग गज) के पुर्नगठन बाबत।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित पुर्नगठन स्वीकृत किया जावे व नियमानुसार पुर्नगठन राशि ली जावे तथा भवन विनियमानुसार पैरामीटर्स रखे जावे। पुर्नगठित भूखण्डों का क्षेत्रफल 1500 वर्गगज से अधिक होने के कारण राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जावे।



एजेण्डा संख्या:-7 (जौन-9)

237/23.08.2016

विषय:- योजना एयरपोर्ट एनक्लेव के भूखण्ड ए-2 से ए-5 को पहुंच मार्ग उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत भूखण्डों के सामने 30 फीट चौड़ी सड़क को सुविधा क्षेत्र में से 40 फीट चौड़ा लिंक देकर रविन्द्र नगर ए की 30 फीट चौड़ी सड़क से मिलान किया जावे।

एजेण्डा संख्या:-8 (जौन-14)

237/23.08.2016

विषय:- श्री मदनसिंह पुत्र श्री चन्द्रसिंह, जाति राजपूत, ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर, जयपुर के द्वारा ग्राम वाटिका तह. सांगानेर की कुल रकबा 0.45 हैक्ट. भूमि पर व्यावसायिक एवं आवासीय पट्टा का मानचित्र अनुमोदन बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि एजेण्डा में उल्लेखित तथ्यों के परिपेक्ष में प्रकरण में 90-क के संशोधित आदेश बाबत सक्षम स्तर से निर्णय लिया जाकर प्रकरण का नियमानुसार जौन स्तर से निस्तारण कर दिया जावे।

एजेण्डा संख्या:-9 (जौन-14)

237/23.08.2016

विषय:-संजीवनी बिल्डटेक प्रा.लि. जरिये निदेशक राजेश मीणा पुत्र बत्तूलाल मीणा, पिंजरापोल गोशाला के सामने, बैंक ऑफ बडौदा के ऊपर, टोंक रोड, सांगानेर, जयपुर के द्वारा ग्राम चंदलाई तह. चाकसू की कुल रकबा 11.91 हैक्टयर भूमि पर आवासीय योजना के मानचित्र अनुमोदन बाबत।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित आवासीय योजना टाउनशिप पालिसी 2-10 के प्रावधानानुसार नहीं है के कारण अनुमोदित नहीं की जावे।



एजेण्डा संख्या:-10 (जोन-14ए)

237/23.08.2016

विषय:- निजी खातेदारी की योजना हनुमान वाटिका ए-7 योजना के भूखण्ड संख्या 18, 18ए, 19, 20 एवं 20ए के पुर्नगठन बाबत।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण मुख्यमंत्री जन आवास अफोडेबल हॉउसिंग फ्लेट योजना 3ए के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया परन्तु उक्त आवेदित भूमि का क्षेत्रफल 10,000 वर्गमीटर से कम होने के कारण नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के कार्यवाही विवरण एफ-18(36)न.वि.वि./एनएचपी/2014 दिनांक 04.04.2016 के दि. 4 के अन्तर्गत क्षेत्रफल 5000 वर्गमीटर में मुख्यमंत्री जन आवास अफोडेबल हॉउसिंग फ्लेट योजना 3ए के अन्तर्गत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है परन्तु उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा आदेश प्राप्त होना लम्बित है अतः प्रकरण नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

एजेण्डा संख्या:-11 (जोन-15)

237/23.08.2016

विषय:- ग्राम झाई तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 453, 454, 454/2, 454/1, 432, 433, 478, 479, 480, 484, 485, 434/735, 435, 436, 437, 437/736, 438, 439, 440, कुल किता 20 कुल रकबा 51213.52 वर्गमीटर पर अनुमोदित ग्रुप हाउसिंग एकल पट्टा तथा ग्राम झाई तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 478, 479, 480, 481, 482, 484, 500, 502, 503, 504/1, 478/716 कुल किता 11 कुल रकबा 27930.70 वर्गमीटर भूमि पर अनुमोदित ग्रुप हाउसिंग एकल पट्टा को पुनर्गठन कर कुल 79144.22 वर्गमीटर का एकल पट्टा मानचित्र अनुमोदन बाबत।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित पुर्नगठन स्वीकृत किया जावे व नियमानुसार पुर्नगठन राशी ली जावे तथा भवन विनियमानुसार पैरामीटर्स निर्धारित किये जावे। पुर्नगठित भूखण्ड का क्षेत्रफल 1500 वर्गगज से अधिक होने के कारण राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जावे।



एजेण्डा संख्या:-12 (मा.प्लान)

237/23.08.2016

विषय:-मास्टर विकास योजना - 2025 में दर्शित भू- उपयोग यू-2 व यू-3 में मुख्यमंत्री जन आवास योजना अनुज्ञेय किये जाने व उनके प्रावधान निर्धारित किये जाने के कम में।

समिति के समक्ष जोन के एजेण्डा व अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मा. प्लान) के अतिरिक्त विचारणीय बिन्दुओं पर विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री जन आवास योजना -2025 के अन्तर्गत प्राप्त प्रकरणों में मास्टर विकास योजना-2025 के प्रावधानों में शिथिलता दिये जाने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किया जाये।

एजेण्डा संख्या:-13 (मा.प्लान)

237/23.08.2016

विषय:- श्रीमती प्रभाती देवी पत्नी श्री नारायण राजू छोट पुत्र नारायण, सोनू पुत्री नारायण, बाबूलाल, किशोर पुत्र गोरू, प्रेम देवी पत्नी मदन, मुकेश बबलु पुत्र मदन, राजु पुत्री मदन, संज्या, छोटा पुत्री गोरू करोडी पुत्र मोहन जरिये मु. आम श्री सुमित अग्रवाल पुत्र रमाकान्त अग्रवाल निवासी 2/507, मालवीय नगर जयपुर द्वारा ग्राम गोनेर तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 3157 रकबा 1.03 हैक्टेयर भूमि का भू- उपयोग निर्धारण बाबत।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श निर्णय लिया गया कि चूंकि प्रश्नगत भूमि निर्माणाधीन रिंग रोड परियोजना के बाहर स्थित है व मास्टर विकास योजना - 2025 में रिंग रोड परियोजना के बाहर के क्षेत्र को यू-2 एरिया दर्शाया गया है। अतः यू-2 एरिया को आगे बढ़ाते हुए ही प्रश्नगत भूमि का भू-उपयोग यू-2 एरिया ही माना जावे।

एजेण्डा संख्या:-14 (मा.प्लान)

237/23.08.2016

विषय:- जविप्रा की रिंग रोड परियोजना में ग्राम अजयपुरा तहसील सांगानेर के भूखण्ड संख्या पुराना 14/औएफ/26, नया भूखण्ड संख्या 14/ आईई/268 क्षेत्रफल 1250.00 व. मी के उपविभाजन बाबत निर्णय हेतु।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि :-

- 1- रिंग रोड परियोजना पी.ए.पी. एरिया में सब-डिविजन व रिकॉन्सटीट्यूशन हेतु प्राप्त प्रकरण में The Rajasthan Urban Areas (Sub-Division Reconstitution and Improvement of plots) Rules 1975 के प्रावधानों के अनुसार ही सेटबैक अनुमोदित योजना मानचित्र अनुसार या भवन विनियम 2010 में दर्शित सेटबैक जो भी अधिक हो को रखने की शर्त पर नियमानुसार उप विभाजन/पुर्नगठन शुल्क लेते हुए उपविभाजन व पुर्नगठन अनुमोदित किया जावे।



एजेण्डा संख्या:-15

237 / 23.08.2016 (मा.प्लान)

विषय:- पृथ्वीराज नगर योजना में सिरसी रोड से बजरी मंडी रोड को जोड़ने वाली 12 मीटर चौड़ी सेक्टर रोड को विलोपित किये जाने के संबंध में।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि भवन मानचित्र समिति की 234वीं बैठक दिनांक 01.03.2016 में लिये गये निर्णय की अनुपालना में जोन द्वारा दिनांक 31.03.2016 को प्रकाशित विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित अवधि दिनांक 30.04.2016 में प्रकरण से संबंधित कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए। अतः प्रकाशित विज्ञप्ति अनुसार ही प्रश्नगत 12 मीटर चौड़ी प्रस्तावित सड़क को बिन्दु संख्या A से B तक विलोपित किया जाये व मौके पर बसी हुई गोलनाथों की आन्तरिक सड़क को मानचित्र में दर्शाये गये बिन्दु E से F, G से H तथा I से J पर आपस में जोड़ा जाये।

एजेण्डा संख्या:-16

237 / 23.08.2016 (मा.प्लान)

विषय:- अजमेर रोड से एकता नगर धाउवास का जाने वाली 80 फीट चौड़ी सेक्टर रोड को 60 फीट किये जाने के संबंध में।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि भवन मानचित्र समिति की 234वीं बैठक दिनांक 01.03.2016 में लिये गये निर्णय की अनुपालना में जोन द्वारा समाचार पत्रों में जारी विज्ञप्ति दिनांक 31.03.2016 के अनुसार निर्धारित अवधि दिनांक 30.04.2016 में प्रकरण से संबंधित कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए। अतः प्रकाशित विज्ञप्ति अनुसार ही एकीकृत मानचित्र में दर्शाये गई 80फीट चौड़ी सड़क के बिन्दु C से D भाग को 60फीट चौड़ी रखे जाने का व बिन्दु E से D तथा A से C तक पूर्व की भांति 80 फीट चौड़ी रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या:-17

237 / 23.08.2016 (मा.प्लान)

विषय:- जोन-19 के सेक्टर " जे " में स्थित गैर अनुमोदित योजना सुन्दर नगर में प्रस्तावित 18 मीटर (60फीट) सेक्टर रोड को विलोपित किये जाने के संबंध में।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित 18 मीटर सड़क को एकीकृत मानचित्र में विलोपित नहीं करते हुए पूर्व में अनुमोदित एकीकृत मानचित्र के अनुसार ही यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया।



आतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-1

257/23.08.2016 (जौन-8)

विषय:-श्रीमती गौरा देवी ग्राम सायपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 265 रकबा हैक्टेयर खसरा नम्बर 276/2 रकबा 0.94 हैक्टेयर खसरा नम्बर 277 रकबा 0.03 कुल किता 3 कुल रकबा 1.29 हैक्टेयर भूमि।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अन्तर्गत जारी कार्यालय आदेश क्रमांक 725 दिनांक 19.8.2016 के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-2

237/23.08.2016 (जौन-12)

विषय:-मुख्यमंत्री जन आवास योजना मे ग्राम बिन्दायका, तहसील जयपुर के खसरा नम्बर 533 कुल किता 1 कुल रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अन्तर्गत जारी कार्यालय आदेश क्रमांक 725 दिनांक 19.8.2016 के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-3

237/23.08.2016 (जौन-13)

विषय:-राजस्व ग्राम-चौमू तहसील-चौमू जिला जयपुर के खसरा नम्बर 1837 रकबा 0.28 हेक्टेयर, 1838 रकबा 0.20 हेक्टेयर, 1839 रकबा 0.88 हेक्टेयर किता-कुल रकबा 1.36 हेक्टेयर भूमि का मुख्यमंत्री जन आवास योजना अन्तर्गत एकल पट्टा जारी हेतु अनुमोदन बाबत।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अन्तर्गत जारी कार्यालय आदेश क्रमांक 725 दिनांक 19.8.2016 के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-4

237/23.08.2016 (जौन-14)

विषय:-निजी खातेदारी की आवासीय योजना पदम वाटिका के भूखण्ड संख्या जी एच-04 क्षेत्रफल 7360.84 वर्ग. एंव भूखण्ड संख्या जी एच-05 क्षेत्रफल 5237.87 वर्ग. का मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अन्तर्गत पुर्नगठन कर एकल पट्टा जारी करने बाबत।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित पुर्नगठन क्षेत्रफल 12598.71 वर्गगज (10534.12 वर्ग.मी)स्वीकृत किया जावे। मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अन्तर्गत जारी कार्यालय आदेश क्रमांक 725 दिनांक 19.8.2016 के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है।



अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-5

237/23.08.2016 (जौन-14)

विषय:-मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अन्तर्गत जारी अफोर्डेबल हाउसिंग प्लैट्स एकल पट्टा, खसरा नम्बर 78/2111, 79, 79/1, 81, 82/2112, 83, 87 ग्राम बीलवा कॅला, तहसील सांगानेर, जयपुर एवं जविप्रा द्वारा अनुमोदित निजी खातेदारी की आवासीय योजना ऋषभ देव रेजीडेन्सी-1, ग्राम बीलवा कॅला, तहसील सांगानेर जयपुर को पुर्नगठित कर मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के मॉडल-3ए के अन्तर्गत एकल पट्टा जारी कर अनुमोदन बाबत।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि पूर्व में अनुमोदित योजना मानचित्र को निरस्त किया जावे एवं जौन के प्रस्तावानुसार मुख्यमंत्री जन आवास योजना के माडल 3 ए के अन्तर्गत प्रस्तावित पुर्नगठन क्षेत्रफल 36948.48 वर्ग मीटर को स्वीकृत किया जावे। मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अन्तर्गत जारी कार्यालय आदेश क्रमांक 725 दिनांक 19.8.2016 के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-6 (जौन-11)

237/23.08.2016

विषय:- आवेदक नीलकण्ड डवलपर्स जरिये पार्टनर मुकेश यादव पता 158, महावीर , नगर-बी गोल्यावास, मानसरोवर, जयपुर के द्वारा ग्राम नरोत्तमपुरा तहसील सांगानेर में स्थित भूमि पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत अफोर्डेबल हाउसिंग प्लेट योजना (3ए के अन्तर्गत अनुमोदन करने बाबत।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया है कि आवेदित भूमि मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रोविजन (3ए) के अन्तर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग एकल पट्टा 10,000 वर्ग मीटर अधिक होने के कारण अनुमोदन हेतु बीपीसी एलपी के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है जिसका बीपीसी एलपी समिति द्वारा अनुमोदन किया जाता है।



अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-7 (जोन-11)

237/23.08.2016

विषय:- आवेदक श्री प्रकाश कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री दुर्गालाल शर्मा एंव कमलेश कुमार शर्मा पुत्र श्री किशोरीलाल शर्मा जरिये मुख्यारराम मैसर्स ए.के.जी अफोडेबल हाउसिंग प्रा.लि. जरिये अधिकृत श्री अनुज कुच्छल पुत्र श्री अनिल कुच्छल निवासी-सी-17 , पंचशील कॉलोनी, पुरानी चुंगी अजमेर रोड़, जयपुर के द्वारा ग्राम चक हरबंसपुरा तहसील सांगानेर खसरा नं. 81, 82/1, 83, 95/1 कुल किता 4 कुल रकबा 2.18 हैक्टर भूमि पर अफोडेबल हाँउसिंग प्लेट योजना (एकल पट्टा) हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया है कि आवेदित भूमि मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रोविजन (3ए) के अन्तर्गत अफोर्डेबल हाँउसिंग एकल पट्टा 10,000 वर्ग मीटर अधिक होने के कारण अनुमोदन हेतु बीपीसी एलपी के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है जिसका बीपीसी एलपी समिति द्वारा अनुमोदन किया जाता है।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-8 (जोन-11)

237/23.08.2016

विषय:- आवेदक नारायण पुत्र सेडा निवासी ग्राम जयसिंहपुरा बास भांकरोडा तहसील सांगानेर जयपुर के द्वारा ग्राम जयसिंहपुरा बास तहसील सांगानेर खसरा नं. 629 रकबा 0.76 हैक्ट. 630/1 रकबा 0.08 हैक्ट. , 637/2 रकबा 0.09 हैक्ट, 1176/826 रकबा 0.16 हैक्ट 0.16 हैक्ट, कुल किता 4 कुल रकबा 1.09 हैक्ट भूमि पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत अफोडेबल हाँउसिंग प्लेट योजना (3ए के अन्तर्गत) हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण मुख्यमंत्री जन आवास अफोडेबल हाँउसिंग प्लेट योजना 3ए के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया परन्तु उक्त आवेदित भूमि का क्षेत्रफल 10,000 वर्गमीटर से कम होने के कारण नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के कार्यवाही विवरण एफ-18(36)न.वि.वि./एनएचपी/2014 दिनांक 04.04.2016 के बिन्दु 4 के अन्तर्गत क्षेत्रफल 5000 वर्गमीटर में मुख्यमंत्री जन आवास अफोडेबल हाँउसिंग प्लेट योजना 3ए के अन्तर्गत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है परन्तु उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा आदेश प्राप्त होना लम्बित है अतः प्रकरण नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।



अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-9

237 / 23.08.2016 (मा.प्लान)

विषय:- सेक्टर प्लान 76 के अंतिम अनुमोदन किये जाने बाबत।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात सेक्टर प्लान 76 के अंतिम अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया। मास्टर विकास योजना 2025 की सडको में विलोपन व संशोधन के प्रस्तावों को प्राधिकरण की आगामी बैठक कराये जाने का निर्णय लिया गया।

चूंकि यह सेक्टर मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार ईकॉलोजिकल क्षेत्र में स्थित है। अतः सेक्टर प्लान में 80 व इससे चौड़ी सडकों पर व्यावसायिक भू-पट्टी का अंकन याचिका संख्या 1554/04 के निर्णयानुसार ही किया जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-10

237 / 23.08.2016 (जोन-8)

विषय:- मुहाना मण्डी से रामपुरा रोड तक 160फीट अनुमोदित सेक्टर सडक का जारी पट्टों के आधार पर अलाइनमेंट में आंशिक संशोधन/परिवर्तन बाबत।

समिति के समक्ष जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा व मास्टर प्लान शाखा द्वारा दिये गये अतिरिक्त विचारणीय बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा की गई:-

1. भवन मानचित्र समिति की 235वीं बैठक दिनांक 26.04.2016 में लिये गये निर्णय की पालना में जोन द्वारा 160 फीट अनुमोदित सेक्टर सडक में आंशिक संशोधन/परिवर्तन के लिए आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने के लिए समाचार पत्रों में दिनांक 09.06.2016 को विज्ञापित जारी की गई थी, के संदर्भ में 5 आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुए जिनको जोन द्वारा निरस्त किये जाने का प्रस्ताव दिया गया। उक्त आपत्ति/सुझावों पर समिति द्वारा भी विस्तृत चर्चा पश्चात एजेण्डा की आपत्ति संख्या-1, 2, 3, 4 पर अंकित आपत्ति को जोन के प्रस्ताव अनुसार निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।
2. बिन्दु संख्या-5 पर अंकित आपत्ति के संबंध में जोन द्वारा समिति को अवगत करवाया गया कि अधिशाषी अभियंता (सेक्टर रोड), जोन-8 द्वारा की गई मौका स्थिति रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत 160फीट सडक के संशोधित अलाइनमेंट से प्रार्थी श्री मनोज बंसल, भूखण्ड संख्या एस-03, पार्श्वनाथ नारायण सिटी का भूखण्ड प्रभावित नहीं होता है। अतः एजेण्डा में उल्लेखित आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है। जिसका निर्णय जोन द्वारा जेएडलसी में भी लिया जा चुका है।
3. समिति द्वारा उपरोक्त सभी आपत्तियों को निरस्त करते हुए टेरेज ग्रीन ग्रुप हाउसिंग एकल पट्टा से मुहाना मंडी मोड तक 160फीट सेक्टर सडक के अलाइनमेंट में आंशिक संशोधन जविप्रा द्वारा जारी पट्टों के अनुसार सडक के पश्चिमी ओर व सडक के पूर्वी ओर जविप्रा द्वारा जारी ग्रुप हाउसिंग के आवेदक की सहमति अनुसार किये जाने का निर्णय लिया गया, परन्तु इस सम्पूर्ण कार्यवाही के पहले आवेदक की सहमात अनुसार आवेदक से प्रस्तावित परिवर्तित रोड एलायमेंट में आने वाली भूमि निःशुल्क समर्पित करवायी जाकर लीजडीड संशोधन की कार्यवाही की जावे।



अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-11

237/23.08.2016 (जोन-19)

विषय:- जी.पी. कॉलोनी में प्रस्तावित, 24 मीटर सेक्टर रोड में विद्यमान 30 फीट रोड को सम्मिलित करते हुए अलाईनमेंट में संशोधन बाबत।

समिति के समक्ष जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा व मास्टर प्लान शाखा द्वारा दिये गये अतिरिक्त एजेण्डा के संबंध में प्रकरण की पूर्ण जाँच कर जीपीसी (एल.पी) बैठक में पुनः रखे जाने का निर्णय लिया गया।



30/8/16

सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान)

क्रमांक: जविप्रा/स.स/बीपीसी (एल.पी.)/2016 /डी-101 दिनांक 30/08/2016

प्रतिलिपी सूचनार्थ:-

- 1 निजी सचिव, आयुक्त महोदय
- 2 निजी सचिव, सचिव, महोदय
- 3 निजी सचिव, निदेशक (नगर आयोजना)
- 4 अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व/पश्चिम /पीआरएन/एल पी सी/भूमि)
- 5 अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (एम.पी.)
- 6 उपायुक्त जोन 1 से 19
- 7 विशेषाधिकारी जनसम्पर्क
- 8 सिस्टम एनालिस्ट
- 9 उप रजिस्ट्रार सहकारिता


30/8/16

सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान)